न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 127/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

चोलामण्डलम इनवेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **संदीप कुमार**

कार्यालयः– पांचवा एवं छठा तल, प्लॉट संख्या 306, 308 एवं 309, गौम्स डिफेंस कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान 302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **महावीर प्रसाद पुत्र बिड़दीचन्द** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान 302021
2. **मंजू देवी पत्नी महावीर प्रसाद** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान 302021
3. **बिड़दीचन्द पुत्र गणेश राम** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान 302021
4. **परमेश्वरी पुत्री मोहन लाल** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान 302021
5. **अशोक कुमार जांगिड़** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान 302021
6. **गीता देवी पत्नी अशोक कुमार जांगिड़** वार्ड संख्या 37, सीकर रोड़, सीकर, राजस्थान 302021
7. **कुबेर इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर महावीर प्रसाद** बी–95–ए, कुबेर औद्योगिक रिको औद्योगिक क्षेत्र, सीकर, राजस्थान 302021

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 10.09.2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **महावीर प्रसाद पुत्र बिड़दीचन्द, मंजू देवी पत्नी महावीर प्रसाद, बिड़दीचन्द पुत्र गणेश राम, परमेश्वरी पुत्री मोहन लाल,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अशोक कुमार जांगिड, गीता देवी पत्नी अशोक कुमार जांगिड एवं **कुबेर इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर महावीर प्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बिड़दीचन्द पुत्र गणेश राम** के स्वामित्व की बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति **खसरा संख्या 126 नया, पुराना 86/1, के एस फोर्ड शॉरूम के सामने वाली गली में महेन्द्र ट्रैक्टर वर्क शॉप के पास, अन्दर की ओर, जयपुर रोड़, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 550 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में शर्मा का मकान, पश्चिम दिशा में रास्ता 19 फीट चौडा, उत्तर दिशा में अर्जुनलाल एवं दक्षिण दिशा में बनवारी का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹73,00,000/–(अक्षरे रूपये तिहत्तर लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **14.06.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील **श्री पुरूषोत्तम शर्मा** उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।

3. वकील अप्रार्थी/ऋणी के अधिवक्ता ने एक आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि सिविल न्यायाधीश, सीकर के प्रकरण संख्या 127/2025 उनवानी बिड़दीचन्द बनाम महावीर प्रसाद में दिनांक 04.08.2025 के द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किय गये है। अतः प्रार्थना पत्र प्रतिभूति की कार्यवाही स्थगित रखी जावे। उक्त आवेदन के जवाब में प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि सिविल न्यायाधीश, सीकर द्वारा पारित आदेश में इस प्रकरण/प्रार्थना पत्र प्रतिभूति के संबंध में आदेशित नहीं किया है तथा ना ही प्रार्थी/कम्पनी को किसी प्रकार की कार्यवाही करने से रोका गया है। प्रार्थना–पत्र सरफेसी की कार्यवाही को सिविल

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायाधीश, सीकर द्वारा स्थगित नहीं किया गया है। सिविल न्यायाधीश, सीकर में विचाराधीन उक्त प्रकरण में प्रार्थी वित्तिय संस्था को पक्षकार भी संयोजित नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी वित्तिय संस्था का प्रार्थना पत्र प्रतिभूति स्वीकार किया जाने के आदेश फरमावें।

4. हमने उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाब आवेदन तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सीकर के प्रकरण संख्या 127/2025 उनवानी बिड़दीचन्द बनाम महावीर प्रसाद में दिनांक 04.08.2025 के द्वारा इस प्रार्थना पत्र सरफेसी में अंकित बंधक सम्पत्ति के संबंध में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारित किये गये हैं।

5. हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

6. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **14.06.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप ये स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 क्रमशः **महावीर प्रसाद पुत्र बिड़दीचन्द, मंजू देवी पत्नी महावीर प्रसाद, बिड़दीचन्द पुत्र गणेश राम, परमेश्वरी पुत्री मोहन लाल, अशोक कुमार जांगिड, गीता देवी पत्नी अशोक कुमार जांगिड** एवं **कुबेर इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर महावीर प्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बिड़दीचन्द पुत्र गणेश राम** के स्वामित्व की बंधक अचल आवासीय सम्पत्ति **खसरा संख्या 126 नया, पुराना 86/1, के एस फोर्ड शॉरूम के सामने वाली गली में महेन्द्र ट्रैक्टर वर्क शॉप के पास, अन्दर की ओर, जयपुर रोड़, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 550 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिशा में शर्मा का मकान, पश्चिम दिशा में रास्ता 19 फीट चौडा, उत्तर दिशा में अर्जुनलाल एवं दक्षिण दिशा में बनवारी का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। **चूंकि उक्त बंधक सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सीकर के 127/2025 उनवानी बिड़दीचन्द बनाम महावीर प्रसाद विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश न्यायालय सिविल न्यायाधीश, सीकर में विचाराधीन उक्त प्रकरण में पारित आदेशों के अध्यधीन रहेगा।** उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

8. आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर